the Central Government to introduce "Cost Audit" in core industries and units manufacturing consumer goods to check inflation; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA) : (a) and (b) The Institute of Cost and Works Accountants of India has suggested to tie Central Government that more and more industries may be covered by the Cost Accounting Records Rules under Section 209(1) (d) of the Companies Act, 1956. The Government is considering the suggestion.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Rules, 1974

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA) : Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (2) of section 12 of the Companies (Temporary Restriction on Dividends) Act, 1974, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) Notification S. O. No. 3126, dated the 30th November, 1974, publishing the Companies (Temporary Restrictions on Dividends Rules 1974. [Placed in Library *See* No. LT. 8712/74]

Report of the Comptroller and Auditor General of India, Union Government v(Commercial) 1974—Part I—Introduction

THE DEPUTY MINISTER IN THE ' MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI] SUSHILA ROHATGI) : Sir, I beg to lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy (in.Englisb and Hindi) of the Report of the Comptroller and Auditor-General of India, Union Government (Commercial), 1974— Part I—Introduction. [Placed in Library, *See* No. LT—8757/74].

Report of the Ratfjvay Convention Committee. 1973,

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से 1975-76 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक विषयों संबंधी रेलवे अभिसमय समिति 1973 के छठे प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

REFERENCE TO ALLEGED MISUSE OF LICENCE BY A BOMBAY FIRM

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान तुलमोहन राम की तरह एक नए महत्वपूर्ण लाइसेंस स्केन्डल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 10 दिसम्बर को जबकि मीसा के आर्डिनैन्स पर बहस हो रही थी श्री भैरों सिंह शेखावत ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण सकेन्डल का रहस्योदघाटन किया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि बम्बई की एक फर्म संत प्रकाश भगवान दास को एक लाइसेंस दिया गया था और उसको मेल-प्रैक्टिस की वजह से डी-लिस्ट कर दिया गया और उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। सन् 1967 में दो मर्तबा इस फर्म ने फिर से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस की कोशिश की लेकिन तत्कालीन कामर्स मिनिस्टर श्री दिनेश सिंह और उसके बाद श्री भगत ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन 70 के अन्दर फिर उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया और उस प्रतिवेदन के आधार पर पालिएस्टर फाइबर का इम्पोर्ट लाइसेंस सिंगापुर या जापान से मिला और इस इम्पोर्ट लाइसेंस के आधार पर जो पालिएस्टर हमारे देश के अन्दर इम्पोर्ट किया गया, टैक्सटाइल कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध इसका ब्लैक मार्किट किया गया। जब सी० बी० आई० ने इसकी जांच की तो इस फर्म ने अपने उत्तर के अंदर कहा कि मंत्री महोदय ने ओरली इसकी इजाजत दी